

भारत सरकार,  
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,  
विकास आयुक्त का कार्यालय,  
सीपूज विशेष आर्थिक क्षेत्र,  
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 096

\*\*\*\*\*

सीपूज-सेज/एसईसी/

दिनांक: 12.7.2017

परिपत्र संख्या - 11

विषय: अभ्यर्पित (सरेंडर) न किए गए गेट पासों से संबंधित प्रक्रिया तथा शास्ति ।

दिनांक 14.5.2015 के मौजूदा परिपत्र संख्या 4 के अनुसार यदि ऐसे गेट पास जिनकी वैधता अवधि समाप्त हो गई हो और वे अभ्यर्पित (सरेंडर) न किए गए हों, तो प्रति गेट पास के लिए 1000/- रु. शास्ति लगाई जाती है ।

दिनांक 10 जुलाई, 2017 को आयोजित प्राधिकरण की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जिन गेट पासों की वैधता अवधि समाप्त हो गई हो, वे 30 दिनों के अंदर अभ्यर्पित (सरेंडर) कर दिए जाएं । इसके पश्चात अभ्यर्पित न किए जाने वाले ऐसे गेट पासों के लिए शास्ति के रूप में 1000/- रु. लिया जाएगा तथा यह शास्ति तब तक लगाई जानी बंद नहीं होगी जब तक कि गेट पास अभ्यर्पित न किए जाएं ।



(महेश यादव)

संपदा (प्रबंधक) / उविआ  
सीपूज-सेज

प्रतिलिपि:-

1. सीपूज - सेज में स्थित सभी यूनिट
2. विआका
3. अध्यक्ष, सीमा, सीपूज - सेज
4. अध्यक्ष, एसजी तथा जेएमए, सीपूज - सेज
5. क्षेत्रीय निदेशक, 100%ईओयू तथा सेज, सीपूज - सेज ईपीसी के लिए
6. जी एंड जे काउंसिल
7. प्रबंधक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सीपूज - सेज
8. प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सीपूज - सेज
9. प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, सीपूज - सेज
10. प्रबंधक, बैंक ऑफ इंडिया, सीपूज - सेज
11. प्रबंधक (ओबीयू), यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सीपूज++
12. प्रबंधक (ओबीयू), आइसीआइसीआइ बैंक, सीपूज++
13. प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, सीपूज++
14. पोस्ट मास्टर, सीपूज पोस्ट कार्यालय
15. अभिरक्षक, एमएमटीसी, सीपूज - सेज
16. उप अभियंता, एमआइडीसी

**GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY,  
OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER,  
SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE,  
ANDHERI (E), MUMBAI -400096.**

SEEPZ-SEZ/SEC/


Date:- 12.07.2017

CIRCULAR NO. - 11

**Subject: - Procedure & Penalty for Unsurrendered Gate Passes**

As per existing Circular No. 4, Dated 14.05.2015, if expired gate pass is not surrendered then a penalty of Rs.1000/- per gate pass is charged.

In the Authority meeting held on 10<sup>th</sup> Jul 17 it has been decided that expired gate passes can be surrendered within 30 days. Thereafter penalty of Rs.1000/-shall be charged for such unsurrendered gate passes and this penalty shall not be withdrawn even if the gate pass is surrendered thereafter.

  
(Mahesh Yadav)  
Deputy Development Commissioner,  
SEEPZ-SEZ

**COPY TO:**

01. All Units in SEEPZ-SEZ
02. DCO.
03. The Chairman, SEEMA, SEEPZ-SEZ
04. The President, SG&JMA, SEEPZ-SEZ
05. The Regional Director, EPC for 100% EOUs & SEZs, SEEPZ-SEZ
06. M/s G&J Council.
07. The Manager, Central Bank of India, SEEPZ-SEZ
08. The Manager, State Bank of India, SEEPZ-SEZ
09. The Manager, Punjab National Bank, SEEPZ-SEZ
10. The Manager, Bank of India, SEEPZ-SEZ
11. The Manager (OBU), Union Bank of India, SEEPZ++
12. The Manager (OBU), ICICI Bank, SEEPZ++
13. The Manager, State Bank of Patiala, SEEPZ++
14. The Post Master, SEEPZ Post Office
15. The Custodian, MMTC, SEEPZ-SEZ
16. The Dy. Engineer, MIDC
17. M/s. Thomas Cook Travels, SEEPZ-SEZ